

ऐजेण्डा नं.12 / डीएलबी / एसटीपी / बीकेजेड / रायसिंहनगर

शहर कस्बे का नाम	रायसिंहनगर
1. आवेदक का नाम	श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी श्री अजय कुमार
2. खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम रायसिंहनगर की भूमि चक नं. 24 पी एस, पत्थर संख्या 203 / 285 मु.सं. 53 कि. सं. 19 में 0.043 है, व कि. सं. 22 में 0.012 है। कुल क्षेत्रफल 0.055 हैक्टेयर संशोधित कि.सं. 19 में 0.055 है। व कि.सं. 22 में 0.011 है। कुल 0.066 हैक्टेयर
3. क्षेत्रफल	0.055 हैक्टेयर संशोधित 0.066 हैक्टेयर
4. संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक (व्यावसायिक महाविद्यालय एवं संस्थान)
5. आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग	व्यावसायिक (पेट्रोल पम्प) प्रयोजनार्थ
6. भू-स्वामित्व की स्थिति	अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, रायसिंहनगर के अनुसार स्वामित्व वैध है।
7. प्रकरण के तथ्य :-	<p>1. प्रश्नगत भूमि रायसिंहनगर नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2031 में सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक (व्यावसायिक महाविद्यालय एवं संस्थान) क्षेत्र दर्शित है। मास्टर प्लान-2031 दिनांक 15.02.2012 से लागू है, जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। आवेदित भूमि राज्य राजमार्ग संख्या-3 (श्रीगंगानगर-बीकानेर) पर स्थित है। जिसकी चौड़ाई मास्टर प्लान अनुसार 150 फीट प्रस्तावित है।</p> <p>2. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, रायसिंहनगर द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र सीमा सन्देश में दिनांक 22.10.2015 एवं संशोधित आपत्ति सूचना राजस्थान पत्रिका व सीमा सन्देश में दिनांक 10.02.2016 को जारी की गई। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।</p> <p>3. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, रायसिंहनगर द्वारा सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक (व्यावसायिक महाविद्यालय एवं संस्थान) क्षेत्र से व्यावसायिक (पेट्रोल पम्प) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा भाग "ब" में प्रस्तुत की गई है।</p> <p>4. वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर के पत्र दिनांक 11.01.2016 में कतिपय शर्तों के अध्यधीन आवेदित भूमि का सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक (व्यावसायिक महाविद्यालय एवं संस्थान) क्षेत्र से व्यावसायिक (पेट्रोल पम्प) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है।</p>
8. प्रस्ताव :-	<p>उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प. 10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.2010 के तहत प्रश्नगत भूमि का सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक (व्यावसायिक महाविद्यालय एवं संस्थान) क्षेत्र से वाणिज्यिक (पेट्रोल पम्प) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नहीं है।</p> <p><u>भू-उपयोग परिवर्तन का औचित्य:-</u></p> <p>रायसिंहनगर से पदमपुर जाने वाले मार्ग पर 20 किलोमीटर तक कोई पेट्रोल पम्प स्थापित नहीं है, तथा पेट्रोल पम्प आधारभूत सुविधाओं का एक भाग हैं। अतः मास्टर प्लान में सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक (व्यावसायिक महाविद्यालय एवं संस्थान) क्षेत्र से व्यावसायिक (पेट्रोल पम्प) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन जनहित में किया जाना उचित होगा।</p> <p>अतः निम्न शर्तों के अध्यधीन आवेदित भूमि के सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक (व्यावसायिक महाविद्यालय एवं संस्थान) क्षेत्र से व्यावसायिक (पेट्रोल पम्प) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. आवेदित भूमि राज्य राजमार्ग संख्या-3 (श्रीगंगानगर-बीकानेर) पर स्थित है। जिसकी चौड़ाई मास्टर प्लान अनुसार 150 फीट प्रस्तावित है। अतः सड़क के मध्य से 75 फीट की दूरी तक आने वाली भूमि को आवेदक द्वारा सड़क हेतु नगर पालिका के पक्ष में निःशुल्क समर्पित की जानी होगी।</li> <li>2. मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एण्ड हाईवे, भारत सरकार (MORTH), आई.आर.सी. एवं राजस्थान भवन विनियम-2010 के प्रावधानों की सुनिश्चिता की जानी होगी।</li> <li>3. बॉयो-टायलेट का उपयोग किये जाने को प्रोत्साहित किया जावेगा।</li> <li>4. नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी।</li> <li>5. मौके पर भूमि के क्षेत्रफल आदि की गणना एवं भूमि के स्वामित्व की जांच नगरीय निकाय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।</li> <li>6. उपरोक्त समस्त शर्तों की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।</li> </ol>
9.	<p>उपरोक्त तथ्यों, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, रायसिंहनगर एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर की अभिशंषा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।</p> <p><u>समिति का निर्णय :-</u> समिति द्वारा ऐजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर की अभिशंषा के अनुरूप प्रस्ताव को ऐजेण्डा में वर्णित शर्तों के अध्यधीन सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।</p>

  
**दरिष्ठ नगर नियोजक**  
 निदेशालय स्थानीय विकास विभाग  
 राजस्थान सरकार जयपुर

ऐजेण्डा नं.13/डीएलबी/एसटीपी/बीकेजेड/रायसिंहनगर

शहर कर्बे का नाम	रायसिंहनगर
1. आवेदक का नाम	राजस्थान काटन मिल्स जरिये पार्टनर श्री तरसेम लाल पुत्र श्री कुन्दन लाल अग्रवाल
2. खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम रायसिंहनगर की भूमि चक नं. 23 पी एस "ए", मु.सं. 20 में से कुल आकार 511 फीट X 412.5 फीट में से कुल 53585 वर्गफीट
3. क्षेत्रफल	0.4980 हैक्टेयर
4. संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	सामाजिक/सांस्कृतिक उपक्रम
5. आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग	व्यावसायिक (विवाह स्थल) प्रयोजनार्थ
6. भू-स्वामित्व की स्थिति	अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, रायसिंहनगर के अनुसार स्वामित्व वैध है।

7. प्रकरण के तथ्य :-

1. उक्त भूमि 825 X 412.5 फीट क्षेत्रफल 340312.50 वर्गफीट को राजस्व विभाग द्वारा वर्ष 1930 में आवेदक को "मील" का औद्योगिक काग्र हेतु आवंटन किया गया है। उक्त भूमि पर आवेदक के द्वारा राजस्थान काटन जिनिंग एण्ड ऑयल सीड प्रोसेसिंग मिलस् के उद्योग के रूप में वर्ष 2009-10 तक उद्योग का कार्य किया जाता है। आवेदक के द्वारा उक्त भूमि मूल आवंटियों से जरिये बैयनामा वर्ष 1970-71 में क्रय की गई है। राजस्थान काटन मिलस् एण्ड ऑयल प्रोसेसिंग मिलस् एक साझेदारी फर्म रही है, इनके द्वारा उक्त भूमि को आपसी सहमति के तौरा बंटवारनामा कर भूमि का उत्तरी भाग 511 X 412.5 फीट राजस्थान काटन मिलस् के नाम से एवं शेष दक्षिणी भाग 314 X 412.50 फीट सिंगल काटन जिनिंग फैक्टरी के नाम से कर लिया गया।

इस प्रकार राजस्थान काटन मिलस् के नाम से दर्ज भूमि कुल क्षेत्रफल 210787.50 वर्गफीट यानि 19589.92 वर्गमीटर में से आवेदक के द्वारा मिलस् के उद्योग के बन्द होने पर वर्ष 2010 से 4980.01 वर्गमीटर भूमि का उपयोग वैवाहिक स्थल/मैरिज पैलेस के रूप में किया जा रहा है, तथा नगर पालिका में उक्त स्थल को पंजीकृत भी करवाया गया है।

उक्त वैवाहिक स्थल के संबंध में जिला कलैक्टर, श्रीगांगनगर द्वारा शिकायत के क्रम में भूमि का भू-उपयोग परिवर्तन कराये जाने हेतु आवेदक को पाबन्द किया गया, तथा माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा सचिन बनाम सरकार व अन्य संख्या 2607/2014 में दायर याचिका के निर्णय अनुसार भी भू-उपयोग परिवर्तन हेतु पाबन्द किया गया।

उपरोक्त अनुसार स्पष्ट है, कि रेवन्यू विभाग द्वारा मिल हेतु आवंटित भूमि पर रेवन्यू विभाग द्वारा ही भू-उपयोग परिवर्तन हेतु अनापति दे दी गई है।

- प्रश्नगत भूमि रायसिंहनगर नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2031 में सामाजिक/सांस्कृतिक उपक्रम क्षेत्र दर्शित है। मास्टर प्लान-2031 दिनांक 15.02.2012 से लागू है, जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। आवेदित भूमि में दुकाने और दो भवन निर्मित हैं। आवेदित भूमि से मुख्य सड़क तक पहुंच मार्ग मौके पर 28 फीट चौड़ा है। वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर की रिपोर्ट अनुसार 60 फीट चौड़ाई का पहुंच मार्ग कायम किया जाना अनिवार्य होगा। रेलवे लाइन के साथ-साथ दर्शायी गयी सड़क के सम्बन्ध में रेलवे की भूमि छोड़ते हुये मुख्य सड़क का मार्गाधिकार राजस्व रिकार्ड अनुसार 80 फीट यथावत कायम किया जावे।
- अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, रायसिंहनगर द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र दैनिक भास्कर में दिनांक 27.09.2015 को जारी की गई। निर्धारित समयावधि में एक आपत्ति प्राप्त हुई तथा एक आपत्ति माननीय उच्च न्यायालय द्वारा वाद संख्या 2607/15 दिनांक 11.05.2015 में आवेदन को भू-उपयोग परिवर्तन हेतु पाबन्द किया। जिसका दिनांक 30.05.2015 के आदेश के अन्तर्गत आपत्ति को अस्वीकार कर खारीज कर दिया गया।
- अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, रायसिंहनगर द्वारा सामाजिक/सांस्कृतिक उपक्रम क्षेत्र से व्यावसायिक (विवाह स्थल) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा भाग "ब" में प्रस्तुत की गई है।
- वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर के पत्र दिनांक 20.01.2016 में कतिपय शर्तों के अध्यधीन आवेदित भूमि का सामाजिक/सांस्कृतिक उपक्रम क्षेत्र से व्यावसायिक (विवाह स्थल) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है, तथा 60 फीट सड़क की सुनिश्चिता की जानी होगी।

8. प्रस्ताव

उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प. 10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 28.10.2010 के तहत प्रश्नगत भूमि का सामाजिक/सांस्कृतिक उपक्रम क्षेत्र से व्यावसायिक (विवाह स्थल) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नहीं है।

भू-उपयोग परिवर्तन का औचित्य:-

नगर पालिका अनुसार उक्त भूखण्ड औद्योगिक प्रयोजनार्थ दर्ज है एवं उक्त भूखण्ड को राजस्व विभाग द्वारा 1930 में मिल्स के नाम से कृषि भूमि आवंटित की गई थी जो आज भी राजस्व रिकार्ड में मिल्स के नाम से दर्ज है। उक्त भूमि पर वर्ष 2010 से पूर्व तक राजस्थान कॉटन जिनिंग मिल्स के नाम से कारोबार होता रहा इसके बाद मिल्स को बंद कर उक्त भू-भाग पर इनके द्वारा वर्ष 2010 से विवाहिक स्थल (मैरिज पैलेस) के रूप में बाद मिल्स को बंद कर उक्त भू-भाग पर आयोजित गतिविधियों को नगर पालिका से दिनांक 27.05.2010 को पंजीकृत (बिलिस रिजोर्ट) के नाम से करवाया गया था उसके बाद निरन्तर इसका उपयोग उक्त 27.05.2010 को पंजीकृत (बिलिस रिजोर्ट) के नाम से करवाया गया था उसके बाद निरन्तर इसका उपयोग उक्त कार्य हेतु किया जाता रहा है। अतः उक्त तथ्यों के मध्यनजर मास्टर प्लान में सामाजिक/सांस्कृतिक उपक्रम क्षेत्र से व्यावसायिक (विवाह स्थल) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किया जाना उचित है।

अतः निम्न शर्तों के अध्यधीन आवेदित भूमि के सामाजिक/सांस्कृतिक उपक्रम क्षेत्र से व्यावसायिक (विवाह स्थल) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है:-

- रेलवे लाइन के साथ-साथ दर्शायी गयी सड़क के सम्बन्ध में रेलवे की भूमि छोड़ते हुये मुख्य सड़क का मार्गाधिकार राजस्व रिकार्ड अनुसार 80 फीट यथावत कायम किया जावे तथा विवाह स्थल हेतु प्रवेश द्वारा 80 फीट सड़क की तरफ से रखा जायेगा।
- स्थल पर अग्निशमन की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी होगी।
- आवेदित स्थल पर आने जाने का एक ही रास्ता उपलब्ध है तो आवेदनकर्ता को दूसरे वैकल्पिक प्रवेश की व्यवस्था जानी होगी।
- कचरा संग्रहण एवं गन्दे पानी के निकास की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जावेगी।

वारिष्ठ नगर  
निवासन स्थान  
राजस्थान

5. विवाह स्थल पर यातायात को बाधित होने से रोकने के लिए निर्धारित संख्या के अनुसार गार्ड लगाये जाने होंगे।
6. विवाह स्थल पर आयोजन से उत्पन्न कचरा एवं अपशिष्ट पदार्थ अलग अलग पॉलिबैग में पैक करके निस्तारण सुनिश्चित किया जावेगा।
7. निर्धारित समय रात्रि 10:00 बजे से सुबह तक ध्वनि विस्तार यन्त्रों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। इस बाबत विवाह स्थलों पर इस संबंध में जारी निर्देशों/प्रतिबंधों की पूर्ण पालना करनी होगी।
8. महिला व पुरुष के लिये भवन विनियमों में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पर्याप्त शौचालय व मूत्रालय की व्यवस्था सुनिश्चित की जावेगी।
9. वर्षा जल एवं पुनर्भरण की व्यवस्था की जानी होगी।
10. स्थल के आस-पास निवास करने वाले अन्य भवनों के स्वामियों को कोई असुविधा नहीं हो, इस बाबत समुचित व्यवस्था प्रार्थी द्वारा सुनिश्चित की जावेगी तथा किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर स्वीकृति को निरस्त किये जाने का अधिकार नगर पालिका में निहित होगा।
11. नगर पालिका/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समस्त देय राशि जमा करायी जाने के पश्चात् स्थल का उपयोग प्रारम्भ किया जा सकेगा।
12. बॉयो-टायलेट का उपयोग किये जाने को प्रोत्साहित किया जावेगा।
13. नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी।
14. मौके पर भूमि के क्षेत्रफल आदि की गणना, न्यायालय में वाद एवं भूमि के स्वामित्व की जांच नगरीय निकाय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।
15. उपरोक्त समस्त शर्तों की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।

9. उपरोक्त तथ्यों, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, रायसिंहनगर एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर की अभिशंषा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

समिति का निर्णय :— समिति द्वारा एजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर की अभिशंषा के अनुरूप प्रस्ताव को एजेण्डा में वर्णित शर्तों के अध्यधीन सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

*AKHILESH*  
वरिष्ठ नगर नियोजक  
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग  
राजस्थान सरकार, जयपुर

ऐजेण्डा नं.14 / डीएलबी/एसटीपी/बीकेजेड/नोहर

	शहर कर्बे का नाम	नोहर
1.	आवेदक का नाम	श्री अशोक कुमार पुत्र श्री बृजलाल मेघवाल
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम चक सरदारपुरा के खसरा नम्बर 46/02/01/02
3.	क्षेत्रफल	0.500 हैक्टेयर
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र
5.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग	आवासीय प्रयोजनार्थ
6.	भू-स्वामित्व की स्थिति	अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, नोहर के अनुसार स्वामित्व वैध है।
7.	प्रकरण के तथ्य :-	<p>1. प्रश्नगत भूमि नोहर नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2031 में परिधि नियन्त्रण क्षेत्र दर्शित है। मास्टर प्लान-2031 दिनांक 08.02.2011 से लागू है, जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। आवेदित भूमि मास्टर प्लान में प्रस्तावित बाईपास से लगभग 100 फीट दूरी पर नोहर से चक सरदारपुरा को जाने वाली सड़क पर स्थित है। जिसका मार्गाधिकार मास्टर प्लान में 100 फीट चौड़ा प्रस्तावित है।</p> <p>2. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, नोहर द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना दो राज्य स्तरीय समाचार पत्र सीमा सन्देश में दिनांक 17.07.2015 व दैनिक भौर में दिनांक 08.07.2015 को जारी की गई। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।</p> <p>3. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, नोहर द्वारा परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा भाग 'ब' में प्रस्तुत की गई है।</p> <p>4. वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर के पत्र दिनांक 12.10.2015 में कतिपय शर्तों के अध्यधीन आवेदित भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है।</p>
8.	प्रस्ताव :-	<p>उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प. 10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.2010 के तहत प्रश्नगत भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने पर तकनीकी दृष्टिया कोई आपत्ति नहीं है।</p> <p><b>भू-उपयोग परिवर्तन का औचित्य:-</b></p> <p>नगरीय आबादी विस्तार के दृष्टिगत तथा 100 फीट चौड़ी सड़क पर भूमि की स्थिति होने व संलग्न सर्वे एवं गूगल इमेज के अनुसार आवेदित स्थल के सामने आस-पास उत्तर-पश्चिम दिशा में हो रहे विकास के मध्यनजर मास्टर प्लान में परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किया जाना उचित है।</p> <p>अतः निम्न शर्तों के अध्यधीन आवेदित भूमि के परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. आवेदित भूमि मास्टर प्लान में प्रस्तावित बाईपास से लगभग 100 फीट दूरी पर नोहर से चक सरदारपुरा को जाने वाली सड़क पर स्थित है। जिसका मार्गाधिकार मास्टर प्लान में 100 फीट चौड़ा प्रस्तावित है। अतः सड़क के मध्य से 50 फीट की दूरी तक आने वाली भूमि को आवेदक द्वारा सड़क हेतु नगर पालिका के पक्ष में निःशुल्क समर्पित की जानी होगी।</li> <li>2. आवासीय प्रयोजनार्थ योजना मानविक्री का अनुमोदन टाउनशिप पॉलिसी-2010 के तहत क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक से कराया जाना होगा।</li> <li>3. योजना में आंतरिक सड़कों के विकास में उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग सुनिश्चित अनिवार्य रूप से किया जावेगा।</li> <li>4. योजना का क्षेत्रफल 2 है। से कम है। अतः मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधान अनुसार सम्पूर्ण योजना के विक्रय योग्य क्षेत्रफल की 10 प्रतिशत भूमि की राशि निकाय में जमा करायी जानी होगी।</li> <li>5. योजना में ठोस कचरा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जावेगा। नगरीय निकाय द्वारा कचरा संग्रहण की सुगमता की दृष्टि से उक्त स्थल की स्थिति योजना में मुख्य सड़क के समीप अनिवार्य रूप से रखी जावेगी। उक्त भूमि निःशुल्क नगर पालिका को समर्पित की जावेगी। वेस्ट वाटर रिसाईविलिंग एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान अनिवार्य रूप से रखा जावेगा।</li> <li>6. नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी।</li> <li>7. मौके पर भूमि के क्षेत्रफल आदि की गणना एवं भूमि के स्वामित्व की जांच नगरीय निकाय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।</li> <li>8. उपरोक्त समस्त शर्तों की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।</li> <li>9. उपरोक्त तथ्यों, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका, नोहर एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर की अभिशंषा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।</li> </ol>

**समिति का निर्णय :-** समिति द्वारा ऐजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर की अभिशंषा के अनुरूप प्रस्ताव को ऐजेण्डा में वर्णित शर्तों के अध्यधीन सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

४५२४१

वरिष्ठ नगर नियोजक  
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग  
राजस्वान चरकार, जयपुर

ऐजेण्डा नं.15 / डीएलबी/एसटीपी/बीकेजेड/चूरु

	शहर कर्से का नाम	चूरु
1.	आवेदक का नाम	श्री राजकुमार पुत्र श्री गजुराम मेघवाल
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम रामसरा के खसरा नं० 966/328 में से 1 बीघा
3.	क्षेत्रफल	0.2532 हेक्टेयर
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र
5.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग	आवासीय प्रयोजनार्थ
6.	भू-स्वामित्व की स्थिति	आयुक्त, नगर परिषद, चूरु के अनुसार स्वामित्व वैध है।
7.	प्रकरण के तथ्य :-	<p>1. प्रश्नगत भूमि चूरु नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2031 में परिधि नियन्त्रण क्षेत्र दर्शित है। मास्टर प्लान-2031 दिनांक 17.07.2012 से लागू है, जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। आवेदित भूमि नये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-65 (जयपुर-रत्नगढ़) पर स्थित है। जिसका मार्गाधिकार मास्टर प्लान में 200 फीट प्रस्तावित है। नियमानुसार उक्त मार्ग के सहारे हाईवे डलपमेन्ट कन्ट्रोल योजना भी लागू है।</p> <p>2. आयुक्त, नगर परिषद, चूरु द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना दो राज्य स्तरीय समाचार पत्र दैनिक करंट ज्वाला एवं दैनिक उद्योग आस-पास में दिनांक 17.10.2015 को जारी की गई। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।</p> <p>3. आयुक्त, नगर परिषद, चूरु द्वारा परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा भाग "ब" में प्रस्तुत की गई है।</p> <p>4. वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर के पत्र दिनांक 26.11.2015 में कतिपय शर्तों के अध्यधीन आवेदित भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है।</p>
8.	प्रस्ताव :-	<p>उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के महेनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प. 10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.2010 के तहत प्रश्नगत भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नहीं है।</p> <p><b>भू-उपयोग परिवर्तन का औचित्य:-</b></p> <p>प्रस्तावित स्थल मुख्य सड़क एसएच-65 पर स्थित हैं। अतः पहुंच मार्ग एवं सुनियोजित विकास के दृष्टिगत भू-उपयोग परिवर्तन किया जान उचित होगा।</p> <p>अतः निम्न शर्तों के अध्यधीन आवेदित भूमि के परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :-</p> <p>1. आवेदित भूमि नये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-65 (जयपुर-रत्नगढ़) पर स्थित है। जिसका मार्गाधिकार मास्टर प्लान में 200 फीट प्रस्तावित है। नियमानुसार उक्त मार्ग के सहारे हाईवे डलपमेन्ट कन्ट्रोल क्षेत्र भी लागू है। अतः राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-65 में आने वाली आवेदित भूमि को आवेदक द्वारा नगर परिषद के पक्ष में निःशुल्क समर्पित की जानी होगी। निर्धारित हाईवे डलपमेन्ट कन्ट्रोल क्षेत्र में निर्माण कार्य निषेध होगा।</p> <p>2. प्रश्नगत भूमि के पास गुजर रही नहर/खाला आदि हेतु सम्बन्धित विभाग के मापदण्डों के अनुसार नहर/खाले की भूमि यथावत कायम रखते हुये नियमानुसार सुरक्षात्मक उपाय कायम किये जाने होंगे।</p> <p>3. योजना में आंतरिक सड़कों के विकास में उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग सुनिश्चित किया जावेगा।</p> <p>4. योजना का क्षेत्रफल 2 है। से कम हैं। अतः मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधान अनुसार सम्पूर्ण योजना के विक्रय योग्य क्षेत्रफल की 10 प्रतिशत भूमि की राशि निकाय में जमा करायी जानी होगी।</p> <p>5. योजना में ठोस कचरा निस्तारण हेतु भूमि का प्रावधान अनुसार समायोजन किया जावेगा। नगरीय निकाय द्वारा कचरा संग्रहण की सुगमता की दृष्टि से उक्त स्थल की स्थिति योजना में मुख्य सड़क के समीप रखी जावेगी। उक्त भूमि निःशुल्क नगर पालिका को समर्पित की जावेगी। वेस्ट वाटर रिसाईकिलिंग एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान रखा जावेगा।</p> <p>6. परिधीय आधारभूत सुविधाओं की कमी के दृष्टिगत योजना तक आधारभूत सुविधाओं यथा बिजली, वाटर सप्लाई एवं सिवरेज आदि की जिम्मेदारी प्रार्थी/विकासकर्ता स्वयं की होगी।</p> <p>7. प्रार्थी द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन चाहा गया है। अतः भूमि के भवन/योजना मानचित्र सक्षम स्तरीय समिति से अनुमोदन टाऊनशिप पॉलिसी-2010 एवं प्रचलित भवन विनियम-2010 व 2013 के नियमानुसार कराया जाना होगा।</p> <p>8. नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी।</p> <p>9. मौके पर भूमि के क्षेत्रफल आदि की गणना एवं भूमि के स्वामित्व की जांच नगरीय निकाय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।</p> <p>10. उपरोक्त समस्त शर्तों की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।</p>
9.	उपरोक्त तथ्यों, आयुक्त, नगर परिषद, चूरु एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर की अभिशंषा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।	

**समिति का निर्णय :-** समिति द्वारा ऐजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर की अभिशंषा के अनुरूप प्रस्ताव को ऐजेण्डा में वर्णित शर्तों के अध्यधीन सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

वरिष्ठ नगर नियोजक  
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग  
राजस्थान डरहम, जयपुर

ऐजेण्डा नं.16/डीएलबी/एसटीपी/बीकेजेड/चूरू

	शहर कर्से का नाम	चूरू
1.	आवेदक का नाम	श्री राजकुमार पुत्र श्री गजुराम मेघवाल
2.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम रामसरा के खसरा नं० 966/328 में से 1580.36 वर्गमीटर
3.	क्षेत्रफल	0.1580 हैक्टेयर
4.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र
5.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग	व्यावसायिक (होटल) प्रयोजनार्थ
6.	भू-स्वामित्व की स्थिति	आयुक्त, नगर परिषद, चूरू के अनुसार स्वामित्व वैध है।
7.	प्रकरण के तथ्य :-	<p>1. प्रश्नगत भूमि चूरू नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2031 में परिधि नियन्त्रण क्षेत्र दर्शित है। मास्टर प्लान-2031 दिनांक 17.07.2012 से लागू है, जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। आवेदित भूमि को पहुंच मार्ग उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-65 (जयपुर-रतनगढ़) से प्रश्नगत भूमि के मध्य प्रार्थी की स्वयं की भूमि है। जिसे प्रार्थी पार्किंग के लिये रखना चाहता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-65 की चौड़ाई मास्टर प्लान में 200 फीट प्रस्तावित है। नियमानुसार उक्त मार्ग के सहारे हाईवे डबलपमेन्ट कन्ट्रोल योजना भी लागू है।</p> <p>2. आयुक्त, नगर परिषद, चूरू द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना दो राज्य स्तरीय समाचार पत्र दैनिक करंट ज्वाला एवं दैनिक उद्योग आस-पास में क्रमशः दिनांक 17.10.2015 व 18.10.2015 को जारी की गई। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।</p> <p>3. आयुक्त, नगर परिषद, चूरू द्वारा परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से व्यावसायिक (होटल) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा भाग "ब" में प्रस्तुत की गई है।</p> <p>4. वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर के पत्र दिनांक 26.11.2015 में कतिपय शर्तों के अध्यधीन आवेदित भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से व्यावसायिक (होटल) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है।</p>
8.	प्रस्ताव :-	<p>उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प. 10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.2010 के तहत प्रश्नगत भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से व्यावसायिक (होटल) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने पर तकनीकी दृष्टिया कोई आपत्ति नहीं है।</p> <p><u>भू-उपयोग परिवर्तन का औचित्य:-</u></p> <p>प्रस्तावित स्थल पर होने वाली वाणिज्यिक (होटल) गतिविधियां के विकास से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा एवं निकाय की आमदनी में वृद्धि व प्रश्नगत भूमि की राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थिति के मद्देनजर होटल प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किया जाना उचित है।</p> <p>अतः निम्न शर्तों के अध्यधीन आवेदित भूमि के परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से व्यावसायिक (होटल) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :-</p> <p>1. आवेदित भूमि को पहुंच मार्ग उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-65 (जयपुर-रतनगढ़) से प्रश्नगत भूमि के मध्य प्रार्थी की स्वयं की भूमि है। जिसे प्रार्थी पार्किंग के लिये रखना चाहता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-65 की चौड़ाई मास्टर प्लान में 200 फीट प्रस्तावित है। नियमानुसार उक्त मार्ग के सहारे हाईवे डबलपमेन्ट कन्ट्रोल योजना भी लागू है। अतः राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-65 में आने वाली आवेदित भूमि को आवेदक द्वारा नगर परिषद के पक्ष में निःशुल्क समर्पित की जानी होगी। निर्धारित हाईवे डबलपमेन्ट कन्ट्रोल क्षेत्र में निर्माण कार्य निषेध होगा।</p> <p>2. प्रार्थी द्वारा व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन चाहा गया है। अतः भवन मानवित्र का सक्षम स्तर से भवन विनियम 2013 के तहत कराया जाना होगा।</p> <p>3. भवन में उर्जा संरक्षण को बढ़ावा दिये जाने की दृष्टि से LED लाईट का उपयोग किया जावेगा।</p> <p>4. बॉयो-टायलेट का उपयोग किये जाने को प्रोत्साहित किया जावेगा।</p> <p>5. नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी।</p> <p>6. मौके पर भूमि के क्षेत्रफल आदि की गणना एवं भूमि के स्वामित्व की जांच नगरीय निकाय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।</p> <p>7. उपरोक्त समस्त शर्तों की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।</p> <p>9. उपरोक्त तथ्यों, आयुक्त, नगर परिषद, चूरू एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर की अभिशंषा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।</p>

समिति का निर्णय :- समिति द्वारा ऐजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर की अभिशंषा के अनुरूप प्रस्ताव को ऐजेण्डा में वर्णित शर्तों के अध्यधीन सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

**वरिष्ठ नगर नियोजक  
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग  
राजस्थान सरकार, जयपुर**

ऐजेण्डा नं.17 /डीएलबी/एसटीपी/बीकेजेड/चूरू

शहर कर्बे का नाम	चूरू
1. आवेदक का नाम	श्रीमती तारामणी पत्नि श्री महावीर प्रसाद
2. खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम रामसरा के खसरा नं० 771/622 रक्खा 2.08 बीघा में से 869.64 वर्गमीटर
3. क्षेत्रफल	0.0870 हेक्टेयर
4. संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र
5. आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग	व्यावसायिक (होटल) प्रयोजनार्थ
6. भू-स्वामित्व की स्थिति	आयुक्त, नगर परिषद, चूरू के अनुसार स्वामित्व वैध है।
7. प्रकरण के तथ्य :-	<p>1. प्रश्नगत भूमि चूरू नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2031 में परिधि नियन्त्रण क्षेत्र दर्शित है। मास्टर प्लान-2031 दिनांक 17.07.2012 से लागू है, जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। आवेदित भूमि नया नेशनल हाईवे नं. 65 पर स्थित है। आवेदित भूमि को पहुंच मार्ग उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-65 (जयपुर-रत्नगढ़) से प्रश्नगत भूमि के मध्य प्रार्थी की स्वयं की भूमि है। जिसे प्रार्थी पार्किंग के लिये रखना चाहता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-65 की चौड़ाई मास्टर प्लान में 200 फीट प्रस्तावित है। नियमानुसार उक्त मार्ग के सहारे हाईवे डबलपमेन्ट कन्ट्रोल योजना भी लागू है।</p> <p>2. आयुक्त, नगर परिषद, चूरू द्वारा परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से व्यावसायिक (होटल) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा भाग "ब" में प्रस्तुत की गई है।</p> <p>3. आयुक्त, नगर परिषद, चूरू द्वारा परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से व्यावसायिक (होटल) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नहीं हुई।</p> <p>4. वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर के पत्र दिनांक 15.12.2015 में कतिपय शर्तों के अध्यधीन आवेदित भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से व्यावसायिक (होटल) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है।</p>
8. प्रस्ताव :-	उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के महेनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प. 10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.2010 के तहत प्रश्नगत भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से व्यावसायिक (होटल) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नहीं है।
भू-उपयोग परिवर्तन का औचित्य:-	<p>प्रस्तावित स्थल पर होने वाली वाणिज्यिक (होटल) गतिविधियां के विकास से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा एवं निकाय की आमदनी में वृद्धि व प्रश्नगत भूमि विकसित रामसरा गाँव के समीपता के आधार व राष्ट्रीय राजमार्ग होटल व्यवसाय की आवश्यकता के मध्यनजर रखते हुये भू-उपयोग परिवर्तन किया जाना उचित है।</p> <p>अतः निम्न शर्तों के अध्यधीन आवेदित भूमि के परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से व्यावसायिक (होटल) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :-</p> <p>1. आवेदित भूमि को पहुंच मार्ग उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-65 (जयपुर-रत्नगढ़) से प्रश्नगत भूमि के मध्य प्रार्थी की स्वयं की भूमि है। जिसे प्रार्थी पार्किंग के लिये रखना चाहता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-65 की चौड़ाई मास्टर प्लान में 200 फीट प्रस्तावित है। नियमानुसार उक्त मार्ग के सहारे हाईवे डबलपमेन्ट कन्ट्रोल योजना भी लागू है। अतः राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-65 में आने वाली आवेदित भूमि को आवेदक द्वारा नगर परिषद के पक्ष में निःशुल्क समर्पित की जानी होगी। निर्धारित हाईवे डबलपमेन्ट कन्ट्रोल क्षेत्र में निर्माण कार्य निषेध होगा।</p> <p>2. प्रार्थी द्वारा व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन चाहा गया है। अतः भवन मानचित्र का सक्षम स्तर से भवन विनियम 2013 के तहत कराया जाना होगा।</p> <p>3. भवन में उर्जा संरक्षण को बढ़ावा दिये जाने की दृष्टि से LED लाईट का उपयोग किया जावेगा।</p> <p>4. बॉयो-टायलेट का उपयोग किये जाने को प्रोत्साहित किया जावेगा।</p> <p>5. नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी।</p> <p>6. मौके पर भूमि के क्षेत्रफल आदि की गणना एवं भूमि के स्वामित्व की जांच नगरीय निकाय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।</p> <p>7. उपरोक्त समस्त शर्तों की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।</p>
9. उपरोक्त तथ्यों, आयुक्त, नगर परिषद, चूरू एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर की अभिशंषा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।	<p>समिति का निर्णय :- समिति द्वारा ऐजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर की अभिशंषा के अनुरूप प्रस्ताव को ऐजेण्डा में वर्णित शर्तों के अध्यधीन सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।</p>

15/2/16

वरिष्ठ नगर नियोजक  
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग  
राजस्वालय सरकार, जयपुर

ऐजेण्डा नं.18 /डीएलबी/एसटीपी/बीकेजेड/चूरू

शहर कस्बे का नाम	चूरू
1. आवेदक का नाम	श्री गिरधारी लाल सैनी व राजेश कुमार
2. खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम चूरू के ख.नं. 2542/2481/118 रक्बा 05 विस्वा (632.55 वर्गमीटर)
3. क्षेत्रफल	0.0633 हैक्टेयर
4. संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र
5. आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग	व्यावसायिक प्रयोजनार्थ
6. भू-स्वामित्व की स्थिति	आयुक्त, नगर परिषद, चूरू के अनुसार स्वामित्व वैध है।
7. प्रकरण के तथ्य :-	<p>1. प्रश्नगत भूमि चूरू नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2031 में परिधि नियन्त्रण क्षेत्र दर्शित है। मास्टर प्लान-2031 दिनांक 17.07.2012 से लागू है, जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। आवेदित भूमि चूरू-रतनगढ़ (एम.डी.आर. रोड) सड़क पर स्थित है। भारत सरकार के परिवहन एवं यातायात विभाग के आदेशों के अनुसार एम.डी.आर. सड़क का मार्गाधिकार 50 मीटर प्रस्तावित है।</p> <p>2. आयुक्त, नगर परिषद, चूरू द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना दो राज्य स्तरीय समाचार पत्र राष्ट्रदूत एवं दैनिक करंट ज्वाला में दिनांक 09.01.2015 को जारी की गई। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।</p> <p>3. आयुक्त, नगर परिषद, चूरू द्वारा परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा भाग "ब" में प्रस्तुत की गई है।</p> <p>4. वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर के पत्र दिनांक 03.03.2015 में कतिपय शर्तों के अध्यधीन आवेदित भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है।</p>
8. प्रस्ताव :-	<p>उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के महेनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प. 10(35)नविवि /3/2010 दिनांक 16.04.2010 के तहत प्रश्नगत भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने पर तकनीकी दृष्टिया कोई आपत्ति नहीं है।</p> <p><b>भू-उपयोग परिवर्तन का औचित्य:-</b></p> <p>प्रस्तावित स्थल पर होने वाली वाणिज्यिक (होटल) गतिविधियां के विकास से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा एवं निकाय की आमदनी में वृद्धि व प्रश्नगत भूमि विकसित रामसरा गाँव के समीपता के आधार व राष्ट्रीय राजमार्ग होटल व्यवसाय की आवश्यकता के मध्यनजर रखते हुये भू-उपयोग परिवर्तन किया जाना उचित है।</p> <p>अतः निम्न शर्तों के अध्यधीन आवेदित भूमि के परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से व्यावसायिक (होटल) प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :-</p> <p>1. आवेदित भूमि चूरू-रतनगढ़ (एम.डी.आर. रोड) सड़क पर स्थित है। भारत सरकार के परिवहन एवं यातायात विभाग के आदेशों के अनुसार एम.डी.आर. सड़क का मार्गाधिकार 50 मीटर प्रस्तावित है। अतः सड़क के मध्य से 25 मीटर की दूरी तक आने वाली आवेदित भूमि को आवेदक द्वारा नगर परिषद के पक्ष में निःशुल्क समर्पित की जानी होगी।</p> <p>2. व्यावसायिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन हेतु प्रश्नगत स्थल पर राजस्थान भवन विनियम-2013 के समस्त प्रावधानों यथा पार्किंग व्यवस्था, ऊंचाई, निर्मित क्षेत्रफल एवं एफ.ए.आर. आदि की पूर्ण पालना सुनिश्चित करनी होगी।</p> <p>3. भवन में उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग सुनिश्चित किया जावेगा।</p> <p>4. बॉयो-टायलेट का उपयोग किये जाने को प्रोत्साहित किया जावेगा।</p> <p>5. नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी।</p> <p>6. मौके पर भूमि के क्षेत्रफल आदि की गणना एवं भूमि के स्वामित्व की जांच नगरीय निकाय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।</p> <p>7. उपरोक्त समस्त शर्तों की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।</p> <p>9. उपरोक्त तथ्यों, आयुक्त, नगर परिषद, चूरू एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर की अभिशंषा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।</p>

**समिति का निर्णय :-** समिति द्वारा ऐजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर की अभिशंषा के अनुरूप प्रस्ताव को ऐजेण्डा में वर्णित शर्तों के अध्यधीन सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

  
 वरिष्ठ नगर नियोजक  
 निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग  
 राजस्थान सरकार, जयपुर

एजेंडा नं.19 / डीएलबी / एसटीपी / बीकैंजेड / राजगढ़ (चूरू)	
शहर कस्बे का नाम	राजगढ़ (चूरू)
1. आवेदक का नाम	श्री रामूराम पुत्र श्री भगवाना राम
2. खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम राजगढ़ (चूरू) के खसरा नं० 2279/115 रकबा 604. 74 वर्गमीटर
3. क्षेत्रफल	0.0605 हेक्टेयर
4. संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2031)" में दर्शाया उपयोग	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र
5. आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग	आवासीय प्रयोजनार्थ
6. भू-स्वामित्व की स्थिति	अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, राजगढ़ (चूरू) के अनुसार स्वामित्व वैध है।
7. प्रकरण के तथ्य :-	<p>1. प्रश्नगत भूमि राजगढ़ (चूरू) नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2031 में परिधि नियन्त्रण क्षेत्र दर्शित है। मास्टर प्लान-2031 दिनांक 05.01.2012 से लागू है, जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। आवेदित भूमि सिद्धमुख एम.डी.आर. 18 सड़क पर स्थित है। जिसका मार्गाधिकार मास्टर प्लान में 150 फीट प्रस्तावित है।</p> <p>2. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, राजगढ़ (चूरू) द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना दो राज्य स्तरीय समाचार पत्रों में दिनांक 11.06.2015 को जारी की गई।</p> <p>3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, राजगढ़ (चूरू) द्वारा परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा भाग "ब" में प्रस्तुत की गई है।</p> <p>4. वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर के पत्र दिनांक 18.08.2015 में कतिपय शर्तों के अध्यधीन आवेदित भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है।</p>
8. प्रस्ताव :-	<p>उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के महेनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प. 10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.2010 के तहत प्रश्नगत भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नहीं है।</p> <p><b>भू-उपयोग परिवर्तन का औचित्य:-</b></p> <p>प्रश्नगत स्थल के आस-पास आवासीय प्रयोजनार्थ विकास हो चुका है, तथा शिक्षण संस्थान भी संचालित है। आस-पास के विकास को देखते हुये भूखण्ड हेतु आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता को देखते हुये आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किया जाना उचित होगा।</p> <p>अतः निम्न शर्तों के अध्यधीन आवेदित भूमि के परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से आवासीय प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. आवेदित भूमि सिद्धमुख एम.डी.आर.-18 सड़क पर स्थित है। जिसका मार्गाधिकार मास्टर प्लान में 150 फीट प्रस्तावित है। अतः सड़क के मध्य से 75 फीट की दूरी तक आने वाली आवेदित भूमि को आवेदक द्वारा नगर पालिका के पक्ष में निःशुल्क समर्पित की जानी होगी।</li> <li>2. योजना का क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर से कम है। अतः मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधान अनुसार विक्रय योग्य क्षेत्रफल की 10 प्रतिशत भूमि की राशि अथवा कुल एफ.ए.आर. का 7.5 प्रतिशत की राशि निकाय में जमा करवायी जानी होगी।</li> <li>3. भवन में उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग सुनिश्चित किया जावेगा।</li> <li>4. भूमि पर आवासीय प्रयोजनार्थ योजना/भवन मानचित्रों का अनुमोदन टाउनशिप पॉलिसी-2010 के तहत प्रचलित भवन विनियम के अनुसार क्षैत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक से कराया जाना होगा।</li> <li>5. नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी।</li> <li>6. मौके पर भूमि के क्षेत्रफल आदि की गणना एवं भूमि के स्वामित्व की जांच नगरीय निकाय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।</li> <li>7. उपरोक्त समस्त शर्तों की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।</li> </ol>
9.	उपरोक्त तथ्यों, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, राजगढ़ (चूरू) एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर की अभिशंषा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।

समिति का निर्णय :— समिति द्वारा एजेंडा का अवलोकन किया गया तथा नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जॉन, बीकानेर की अभिशंषा के अनुरूप प्रस्ताव को एजेंडा में वर्णित शर्तों के अध्यधीन सर्वसम्मति से अनमोदित किया गया।

वरिष्ठ नगर नियोजक  
निवेशालय राजनीति निकाय विभाग  
राजस्थान सरकार, जयमुख

ऐजेण्डा नं.20 /डीएलबी/एसटीपी/बीकेजेड/सूरतगढ़

1.	शहर कर्से का नाम	सूरतगढ़
2.	आवेदक का नाम	राजस्थान राज्य भारत स्काउट गार्ड स्थानीय संघ, सूरतगढ़
3.	खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	राजस्व ग्राम सूरतगढ़ के खसरा नं. 485/19 रकवा 106.146 हैक्टेयर में से 0.506 हैक्टेयर
4.	क्षेत्रफल	0.506 हैक्टेयर
5.	संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2023)" में दर्शाया उपयोग	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र
6.	आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग	संस्थानिक
7.	भू-स्वामित्व की स्थिति	राज्य सरकार द्वारा आवंटन पत्र दिनांक 18.04.2011 आवंटित भूमि।
8.	प्रकरण के तथ्य :-	<p>1. प्रश्नगत भूमि सूरतगढ़ नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2023 में परिधि नियन्त्रण क्षेत्र दर्शित है। मास्टर प्लान-2023 दिनांक 17.11.2001 से लागू है, जिसको 2 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। आवेदित भूमि सूरतगढ़-बीकानेर (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-15) को जोड़ने वाली पश्चिम दिशा में 100 फीट सड़क पर स्थित है।</p> <p>2. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, सूरतगढ़ द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना दो राज्य स्तरीय समाचार पत्र सीमा सन्देश व राजस्थान पत्रिका में दिनांक 05.11.2014 को जारी की गई। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।</p> <p>3. जिला कलेक्टर के पत्र दिनांक 18.04.2011 द्वारा आवंटित भूमि। तहसीलदार सूरतगढ़ के पत्र दिनांक 13.08.2007 के अनुसार स्वामित्व वैध है।</p> <p>4. वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर के पत्र दिनांक 19.08.2015 में कतिपय शर्तों के अध्यधीन आवेदित भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से संस्थानिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है।</p>
9.	प्रस्ताव :-	<p>उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प. 10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.2010 के तहत प्रश्नगत भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से संस्थानिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नहीं है।</p> <p><b>भू-उपयोग परिवर्तन का औचित्य:-</b></p> <p>राज्य सरकार द्वारा आवंटन एवं पालिका की अभिशंषा व राजस्थान राज्य भारत स्काउट गार्ड स्थानीय संघ में छात्रों को प्रशिक्षण व कैम्पस के मध्यनजर मास्टर प्लान में परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से संस्थानिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किया जाना उचित होगा।</p> <p>अतः निम्न शर्तों के अध्यधीन आवेदित भूमि के परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से संस्थानिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :-</p> <p>1. आवेदित भूमि सूरतगढ़-बीकानेर (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-15) को जोड़ने वाली पश्चिम दिशा में 100 फीट सड़क पर स्थित है। अतः सड़क के मध्य से 50 फीट की दूरी तक आने वाली भूमि को आवेदक द्वारा नगर पालिका के पक्ष में निःशुल्क समर्पित की जानी होगी।</p> <p>2. भूमि पर संस्थानिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन चाहा गया है। अतः भूमि के भवन/योजना मानचित्र सक्षम स्तरीय समिति से अनुमोदन टाऊनशिप पॉलिसी-2010 के तहत प्रचलित भवन विनियमों के अनुसार कराया जाना होगा।</p> <p>3. भवन में उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग सुनिश्चित अनिवार्य रूप से किया जावेगा।</p> <p>4. नगरीय निकाय द्वारा प्रार्थी/विकासकर्ता से नियमानुसार देय समस्त राशि की वसूली सुनिश्चित की जावेगी।</p> <p>5. मौके पर भूमि के क्षेत्रफल आदि की गणना एवं भूमि के स्वामित्व की जांच नगरीय निकाय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।</p> <p>6. बॉयो-टायलेट का उपयोग किये जाने को प्रोत्साहित किया जावेगा।</p> <p>7. उपरोक्त समस्त शर्तों की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।</p> <p>8. उपरोक्त तथ्यों, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, सूरतगढ़ एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर की अभिशंषा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।</p>

**समिति का निर्णय :-** समिति द्वारा ऐजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर की अभिशंषा के अनुरूप प्रस्ताव को ऐजेण्डा में वर्णित शर्तों के अध्यधीन सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

*अभिशंषा*

वरिष्ठ नगर नियोजक  
निदेशालय स्थानीय विकास विभाग  
राजस्थान सरकार जयपुर

ऐजेण्डा नं.48 / डीएलबी / एसटीपी / बीकेजेड / पीलीबंगा

शहर कस्बे का नाम	पीलीबंगा
1. आवेदक का नाम	श्री इकबाल सिंह पुत्र श्री हरमेल सिंह
2. खसरा नं./भूखण्ड नं. मय ग्राम कॉलोनी	चक 13 पीबीएन के खाता संख्या 116/88 पत्थर नं. 33/306 मु.नं. -8 किला सं. 22 में से 0.253 हैक्टेयर भूमि
3. क्षेत्रफल	0.253 हैक्टेयर
4. संदर्भित भूमि का "लैण्ड यूज प्लान (2023)" में दर्शाया उपयोग	परिधि नियन्त्रण क्षेत्र
5. आवेदक द्वारा प्रस्तावित भू-उपयोग	संस्थानिक (शैक्षणिक)
6. भू-स्वामित्व की स्थिति	अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, पीलीबंगा के अनुसार स्वामित्व वैध है।
7. प्रकरण के तथ्य :-	<p>1. प्रश्नगत भूमि पीलीबंगा नगरीय क्षेत्र हेतु मास्टर प्लान-2031 में परिधि नियन्त्रण क्षेत्र में दर्शित है। मास्टर प्लान-2031 दिनांक 04.08.14 से लागू है, जिसको अभी 2 वर्ष पूर्ण नहीं हुये है। आवेदित स्थल सूरतगढ़ से हनुमानगढ़ को जोड़नेवाली 200 फीट चौड़ी बाई पास के उत्तरी दिशा में ढाबां व गोलूवाला की ओर जाने वाली 80 फीट चौड़ी सड़क पर स्थित है। राजस्व रिकार्ड अनुसार मुख्य सड़क के विपरीत हुए किला संख्या 24 तथा 25 भी आवेदक के स्वामित्व की ही भूमि है। आवेदक ने उक्त किला संख्या 24 व 25 में से पहुंच मार्ग हेतु मुख्य सड़क (80फीट) से आवेदित स्थल तक 60 फीट की सड़क कायम करने का शपथ पत्र प्रस्तुत किया है।</p> <p>2. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, पीलीबंगा द्वारा नियमानुसार सार्वजनिक आपत्ति सूचना सीमा सन्देश एवं दैनिक भोर दो राज्य स्तरीय समाचार पत्र दिनांक 17.12.2015 को जारी की गई। निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई।</p> <p>3. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, पीलीबंगा द्वारा परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये जाने की स्पष्ट अभिशंषा की गई है।</p> <p>4. वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर के पत्र दिनांक 28.01.2016 में कतिपय शर्तों के अध्यधीन आवेदित भूमि का परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की अभिशंषा की गई है।</p>
8. प्रस्ताव :-	<p>उपरोक्त बिन्दु सं. 7 के समस्त 4 तथ्यों के मद्देनजर तथा नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प. 10(35)नविवि/3/2010 दिनांक 16.04.10 के तहत प्रश्नगत भूमि परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किये पर तकनीकी दृष्ट्या कोई आपत्ति नहीं है।</p> <p><u>भू-उपयोग परिवर्तन का औचित्य</u></p> <p>आवेदित स्थल के समीप ही पूर्व में बैठक दिनांक 30.04.2015 को आवेदक की ही भूमि शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन किया जा चुका है। आवेदक द्वारा शैक्षणिक परिसर के विस्तार के क्रम में भू-उपयोग परिवर्तन हेतु आवेदन किया गया है। अतः भू-उपयोग परिवर्तन किया जाना उचित होगा।</p> <p>अतः निम्न शर्तों के अध्यधीन आवेदित भूमि के परिधि नियन्त्रण क्षेत्र से शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू-उपयोग परिवर्तन की स्वीकृति दी जा सकती है :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. आवेदित स्थल तक 60 फीट सड़क की सुनिश्चितता की जानी होगी।</li> <li>2. भूखण्ड पर शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भवन मानचित्रों का प्रचलित भवन विनियमों के तहत नियमानुसार अनुमोदन कराया जाना होगा।</li> <li>3. भवन में ग्रीन बिल्डिंग अवधारण के प्रोत्साहन एवं उर्जा संरक्षण हेतु सोलर एवं LED लाईट्स का उपयोग सुनिश्चित किया जावेगा।</li> <li>4. भवन में सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, वेस्ट वाटर रिसाईकिंग एवं रैन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर आदि हेतु नियमानुसार प्रावधान रखा जावेगा।</li> <li>5. बॉयो-टायलेट का उपयोग किये जाने को प्रोत्साहित किया जावेगा।</li> <li>6. भूमि के स्वामित्व, वाद एवं क्षेत्रफल की सुनिश्चितता निकाय स्तर पर की जानी होगी।</li> <li>7. उपरोक्त समस्त शर्तों की पालना स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।</li> </ol> <p>9. उपरोक्त तथ्यों, अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, पीलीबंगा एवं वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर की अभिशंषा तथा प्रकरण का परीक्षण पश्चात् प्रस्ताव समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।</p>

समिति का निर्णय :- समिति द्वारा ऐजेण्डा का अवलोकन किया गया तथा नगरीय निकाय व क्षेत्रीय वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर की अभिशंषा के अनुरूप प्रस्ताव को ऐजेण्डा में वर्णित शर्तों के अध्यधीन सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

✓/४८/४८/१

वरिष्ठ नगर नियोजक  
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग  
राजस्वान उपकार जनपुर